कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

//आदेश//

क्रमांक– 56/कोरोना/दो–12–11/20 जबलपुर, दिनांक– 14.04.2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के संशोधित आदेश क्रमांक 3876/एस.डब्ल्यू./2021 जबलपुर दिनांक 10.04.2021 के द्वारा संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत दिनांक 12.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (टोटल लॉकडाउन) बढ़ाया/घोषित किया गया है, तथा नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया गया है।

अतः जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के उपरोक्त आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र (SOP) क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 एवं पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में न्यायिक जिला जबलपुर/सिहोरा/पाटन के समस्त न्यायालय एवं समस्त अनुभाग तथा कुटुंब न्यायालय जबलपुर में दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 21.04.2021 तक न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। दिनांक 15.04.2021 (गुरुवार), 16.04.2021 (शुक्रवार), 19.04.2021 (सोमवार) तथा 20.04.2021 (मंगलवार) को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई 01 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 01 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित की जायेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्र. /कोरोना/दो–12–11/20 जबलपुर, दिनांक– 14.04.2021

प्रतिलिपि:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर।
3. कलेक्टर जबलपुर।
4. पुलिस अधीक्षक जबलपुर।
5. अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
6. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
7. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर।
8. प्रभारी अधिकारी नजारत/प्रतिलिपि/कम्प्युटर अनुभाग/जूनियरसिस्टम एनालिस्ट जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
10. कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर।
11. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जबलपुर की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
12. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर।
13. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)